न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी--अनूप सिंह आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
494/2023	19.10.2023	18.07.2024

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र वासुदेव
2. सुरेशचन्द पुत्र वासुदेव
3. बृजमोहन पुत्र वासुदेव
4. कमला पुत्री वासुदेव
5. कमला देवी पुत्री वासुदेव
6. रामप्यारी पुत्री वासुदेव
7. मुकेश पुत्र रामनिवास
8. ममता पत्नि रामनिवास

जाति खंगार निवासी खेडली तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, वजीरपुर ।
2. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी हाल सवाई माधोपुर ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा वादी की ओर से
2 प्रतिवादी के प्रतिनिधी।

निर्णय

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल ख0नं0 2032 रकवा 0.25 है0, 2033 रकवा 0.46 है0, 2034 रकवा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर वादीगण के पिता वासुदेव पुत्र घूड़या के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है वादीगण के पिता वासुदेव फौत हो चुके है वादीगण उनके वारिस व काबिज खातेदार भूमि है तथा उक्त भूमि से लगातार लाभान्वित होते आ रहे है। वादीगण के पिता की मृत्यु ग्राम पीलोदा में हुई। वादीगण के पीलोदा रेल्वे स्टेशन पर कर्मचारी के रुप में कार्यरत थे इसलिए उनका स्वर्गवास ग्राम पीलोदा मे हुआ जबकि उनकी खातेदारी भूमि ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर में स्थित है। वादीगण के पिता की मृत्यु के उपरांत पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण भरा गया वह सही भरा गया परन्तु हल्का गिरदावर द्वारा बिना किसी भौतिक जांच के

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी व मृत्यु प्रमाण पत्र मे निवास स्थान व भूमि का स्थान अलग–अलग होने के कारण नामान्तकरण जांच कर पुनः पेश करने का नोट दिनांक 19.04.23 को अंकित कर दिया परन्तु सरपंच द्वारा बिना किसी जांच के दिनांक 05.06.2023 नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। जो एक अवैधानिक आदेश है उक्त नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 10.03.2023 जो दिनांक 05.06.2023 को निरस्त करने के आदेश दिये है को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि में वादी सं0 1 ता 7 का 1/8 – 1/8 हिस्सा तथा वादी सं0 8 व 9 का संयुक्त रुप से हिस्सा 1/8 हिस्सा है इसी अनुसार वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित कराने एवं इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी है। वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 के प्रतिनिधी उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी सं0 2 ने स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया कि भूमि नामान्तकरण संख्या 858 दिनांक 06.06.2023 से रहन मुक्त हो चुकि है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी सवत् 2073 – 2076 खाता संख्या 321 प्रर्दश–1, नकल नामान्तकरण ग्राम खेडली प्रदर्श–2 , फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र वासुदेव पुत्र घूडया पेश किये गये।

पत्रवली में वादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रुप से गवाह पी0डब्लू–1 वासुदेव ,पी0डब्लू–2 पवन कुमार के बयान दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरुप बहस करते हुए कहा है कि भूमि का खातेदार वासुदेव जो कि वादीगण के 1 ता 7 के पिता एवं 8 व 9 के दादा की मृत्यु दिनांक 17.01.2011 को हो गयी है। जिसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की है तथा मृतक वासुदेव की खातेदारी होने के समर्थन में जमाबंदी प्रदर्श–1 पेश किया है एवं प्रदर्श–2 जो कि पटवारी हल्का द्वारा भरा गया नामान्तकरण है पेश किया जिससे यह साबित है कि मृतक वासुदेव पुत्र घूडया के वारिस केवल वादीगण है। वकील वादी ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के यहा से भूमि रहन मुक्त हो गयी है जिसका इन्द्राज प्रर्दश–1 पर दर्ज है जिसमे नामान्तकरण संख्या 858 दिनांक 06.06.2023 से रहन मुक्त किया गया है।. इसलिए भूमि की खातेदारी मृतक वासुदेव के स्थान पर वादी सं0 1 ता 7 के नाम हिस्सा 1/8 –1/8 व वादी सं0 8 व 9 के नाम संयुक्त रुप से 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे । दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे ।

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादपत्र में वादीगण ने अंकित किया कि भूमि खसरा नंबर 2032, 2033, 2034, वाके ग्राम खेडली की खातेदारी मृतक वासुदेव पुत्र घूडया के नाम दर्ज रही जो प्रदर्श–1 से पूर्णतः सावित है तथा खातेदार वासुदेव की मृत्यु के संबध में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है एवं वादीगण के मृतक वासुदेव के वारिस होने के सम्बंध में वकील वादीगण ने प्रदर्श–2 की ओर ध्यान आकृषित करते हुये कहा है कि मृतक वासुदेव के वारिसो का नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरते समय दर्ज किया है तथा पटवारी हल्का द्वारा भरे गये वारिसानो के नामो भरे जाने के संदर्भ में हल्का गिरदावर व सरपंच द्वारा कोई आपत्ति नही की है। केवल भूमि के एवं मृतक के निवास स्थान अलग – अलग होने को आधार बनाकर नामान्तकरण निरस्त किया गया है जिससे यह सावित है कि मृतक वासुदेव के वारिस वादीगण है। इसलिए वादीगण स्वयं को मृतक के स्थान पर भूमि को स्वयं के नाम खातेदार के रुप में दर्ज करवाने के अधिकारी है । दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल ख0नं0 2032 रकवा 0.25 है0, 2033 रकवा 0.46 है0, 2034 रकवा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर में मृतक वासुदेव पुत्र धूडया जाति खंगार की विरासत के नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 10.03.2023 जो तस्दीक किया जाकर दिनांक 05.06.2023 को निरस्त करने के आदेश दिये है उक्त आदेश वैधानिक नही होने के कारण सरपंच द्वारा उक्त नामान्तकरण पर दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है। तथा वादीगण 1 ता 7 को हिस्सा 1/8 – 1/8 व वादी सं0 8 व 9 को संयुक्त रुप से हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक वासुदेव के नाम चले आ रहे इन्द्राज हजफ किये जाकर वासुदेव के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी/उपजिला कलेक्टर (सिटी)

(अजीत सिंह)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर

न्यायालय उपजिला कलेक्टर

दावा मु0 न0 494/23 उनवानी राधेश्याम वगै0 बनाम लैण्डहोल्डर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6--जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास अनूप सिंह, आर0ए0एस0

उनवान

1.राधेश्याम पुत्र वासुदेव
2.सुरेशचन्द पुत्र वासुदेव
3.बृजमोहन पुत्र वासुदेव
4.कमला पुत्री वासुदेव
5.कमला देवी पुत्री वासुदेव
6.रामप्यारी पुत्री वासुदेव
7.मुकेश पुत्र रामनिवास
8.ममता पत्नि रामनिवास

जाति खंगार निवासी खेडली तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार , वजीरपुर ।
2.शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी हाल सवाई माधोपुर ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं. — 494/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** के प्रतिनिधी **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** कि आराजी हाल ख0नं0 2032 रकवा 0.25 है0, 2033 रकवा 0.46 है0, 2034 रकवा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर में मृतक वासुदेव पुत्र धूडया जाति खंगार की विरासत के नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 10.03.2023 जो तस्दीक किया जाकर दिनांक 05.06.2023 को निरस्त करने के आदेश दिये है उक्त आदेश वैधानिक नही होने के कारण सरपंच द्वारा उक्त नामान्तकरण पर दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है। तथा वादीगण 1 ता 7 को हिस्सा 1/8 — 1/8 व वादी सं0 8 व 9 को संयुक्त रुप से हिस्सा 1/8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक वासुदेव के नाम चले आ रहे इन्द्राज हजफ किये जाकर वासुदेव के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.07.2024 को जारी किया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

दावा मु0 न0 494/23 उनवानी राधेश्याम दनौ0 बनाम तैय्यबहोलकर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अनूप सिंह)
उप जिलाधिकारी (न्यायिक)
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर